झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–247 / 2019

1. यूनूश अंसारी, उम्र लगभग 23 वर्ष, सलामत अंसारी के पुत्र, निवासी ग्राम–लुंदरी, डाकघर और थाना–चान्हो, जिला–रांची।
2. साबिर अंसारी, उम्र लगभग 29 वर्ष, अजमल अंसारी का पुत्र, निवासी ग्राम–लुंदरी, डाकघर और थाना–चान्हो, जिला–रांची। ..... याचिकाकर्त्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. उपायुक्त, हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबाग।
3. प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग, पश्चिम हजारीबाग, वन डिवीजन, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबाग

..... उत्तरदातागण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद**

याचिकाकर्त्ताओं के लिए : श्री विकास पाण्डेय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : आर0के0 शाही, ए0ए0जी0 के ए0सी0

02 / दिनांक 23 अप्रैल, 2019

यह सिविल विविध याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी) सं0 5929 / 2018 में दिनांक 11 मार्च, 2019 को पारित आदेश के संशोधन के लिए दायर की गई है, जिसके तहत रिट यायचिका को याचिकाकर्त्ताओं को पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकरण के समक्ष संपर्क करने के छूट के साथ निपटाया गया था।

याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आहरण वाद सं0–40/2015 में प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग द्वारा पारित आदेश को उपायुक्त के समक्ष चुनौती दिया था, जिसने इसे प्राधिकृत अधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग के पास वापस कर दिया है और अब अपील हो सकेगा परन्तु गलती से, पुनरीक्षण दाखिल करने की छूट के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई है और इसलिए, उक्त आदेश को संशोधन करने की आवश्यकता है।

राज्य–प्रतिवादी के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस तरह के सबमिशन पर आपत्ति नहीं जताई है।

इसके मद्देनजर, दिनांक 11 मार्च, 2019 कोपारित आदेश में अपीलीय प्राधिकार के समक्ष याचिका दाखिल करने की छूट देने के हद तक उक्त आदेश को संशोधित किया जाता है।

इस तरह के संशोधन के मद्देनजर, दिनांक 11 मार्च, 2019 के आदेश में निर्धारित समय को भी बढ़ाया जाना चाहिए और तदनुसार यदि याचिकाकर्त्ता दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपील दायर करेंगे, तो अपीलीय प्राधिकारी इस मामले पर उसके आठ सप्ताह के भीतर विचार करेगा और निर्णय करेगा।

दिनांक 11 मार्च, 2019 आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है जैसा कि यहाँ बताया गया है।

तदनुसार, सी0एम0पी0 सं0–247/2019 का निपटान किया गया।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)